न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 10/2025

1. वासुदेव सिंह पुत्र केसर दान जाति चारण निवासी गाढ मथुरादास, तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर।

प्रतिवादीग

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी
2. सरकार पैरोकार

दिनांक :– 16/05/2025

निर्णय

वादी द्वारा बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया गया है किवादी के नाम की आराजीयात कृषि भूमि के नया खाता सं0 32 पुराना खाता सं0 30 के ख0न0 39 रकबा 1.5680 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.5680 है0 वाके ग्राम गाढ मथुरादास, पटवार हल्का आसलपुर, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर, तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का हिस्सा 3/32 दर्ज व अंकित है। वादी की उपरोक्त उक्त आराजीयात मे वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशनदान अंकित है जबकि वास्तव मे वादी का नाम वासुदेव सिंह है। परन्तु वादी के पिता की मृत्यु पश्चात खुले फौती नामान्तकरण के समय परिवारवालों के बताये अनुसार पटवार हल्का द्वारा वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशरदान आराजीयात मे दर्ज हो गया लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजात मे प्रारम्भ से ही वादी का नाम वासुदेव सिंह ही दर्ज है। इसलिए वादी को अपनी आराजीयात मे अपना नाम वासुदेव सिंह दर्ज करवाना आवश्यक है।

वादी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित आराजीयात कृषि कार्य करे बिना किसी व्यवधान के कृषि उपज प्राप्त कर रहा है तथा समस्त प्रकार की खातेदारी अधिकारो का उपयोग उपभोग कर रहा है। वाद कारण दिनांक 26.12.2024 को जब वादी ने पटवारी हल्का से जमाबंदी निकलवाई तो वादी को पता चला कि उक्त जमाबंदी मे वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशरदान दर्ज है से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

वाद पत्र की मद सं01 मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि के नया खाता सं0 32 पुराना खाता सं0 30 के ख0न0 39 रकबा 1.5680 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

5680 हे0 वाके ग्राम बाढ मथुरादास, पटवार हलका आसलपुर, भू0अभि0नि0वृत्त आसलपुर, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का हिस्सा 3/32 दर्ज है वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशरदान दर्ज हो गया है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो मे वादी का नाम वासुदेव सिंह दर्ज है तथा वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशरदान की जगह वासुदेव सिंह राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने की कृपा करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि हाल जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 32 में दर्ज ख0नं0 39 रकबा 1.5680 हे0 खातेदार बलदेवदान पुत्र केशरदान हि0 3/32 जाति चारण सा0देह खातेदार वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि पैतृक प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता केसरदान पुत्र रामरतनदान के फौत होने पर जरिये फौती नामा0 प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के पहचान पत्रों आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, मा0शि0बोर्ड राजस्थान की सेकण्डरी स्कुल परीक्षा 1990 तथा एच0डी0एफ0सी0 ब्रांच बगरू में नाम वासुदेव सिंह दर्ज है। संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उपस्थित मजमे आम मे वासुदेव सिंह पुत्र केसरदान व बलदेवदान पुत्र केसरदान जाति चारण के संबंध में जानकारी ली गई। उपस्थितान ने बताया कि वासुदेव सिंह पुत्र केसरदान व बलदेवदान पुत्र केसरदान एक ही व्यक्ति है। जिनका सरकारी दस्तावेज/पहचान पत्रों मे नाम वासुदेव सिंह पुत्र केसरदान दर्ज है। जबकि बलदेवदान पुत्र केसरदान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बाढमथुरा दास मे नहीं है। केसरदान पुत्र रामरतनदान के चार पुत्र रामचन्द्रदान, जयसिंह, कल्याणदान व वासुदेव सिंह है, बलदेवदान नाम का कोई पुत्र केसरदान के नहीं है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादीगण का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खाता संख्या 32 में दर्ज ख0नं0 39 रकबा 1.5680 हे0 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। जिसमे वादी का नाम बलदेवदान पुत्र केशरदान दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम वासुदेव सिंह पुत्र केशरदान दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि बलदेवदान व वासुदेव सिंह एक ही व्यक्ति है एवं ग्राम बाढ मथुरा दास में बलदेवदान का नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कारण वादी को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 32 में दर्ज ख0नं0 39 रकबा 1.5680 हे0 वाके ग्राम बाढ़ मथुरा दास तह0 जोबनेर में बलदेवदान पुत्र केशरदान के स्थान पर वासुदेव सिंह पुत्र केशरदान दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर